

मध्य प्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)46/2015/ए-1/दो  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01/04/2019

पुलिस अधीक्षक  
जिला-भोपाल  
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठाकन/निवासवृद्धि पाक नागरिका- श्रीमती सोनिया पत्नी श्री रंजीत कुमार 2. हंसिका पुत्री श्री रंजीत कुमार 3. हीर पुत्र श्री रंजीत कुमार 4. ग्रेसिया पुत्री श्री रंजीत कुमार निवासी जिला भोपाल।  
संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/भोपाल/पाक 2019(346/19) दि.30.01.2019

---00---

पाक नागरिको पाक नागरिको श्रीमती सोनिया पत्नी श्री रंजीत कुमार 2. हंसिका पुत्री श्री रंजीत कुमार 3. हीर पुत्र श्री रंजीत कुमार 4. ग्रेसिया पुत्री श्री रंजीत कुमार को 90 दिन दिनांक 29.06.2019 तक वापसी पृष्ठाकन स्वीकृत किया जाता है। पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

- 1 श्रीमती सोनिया पत्नी श्री रंजीत कुमार मूल पारपत्र क्रमांक AR-5797332
- 2 हंसिका पुत्री श्री रंजीत कुमार मूल पारपत्र क्रमांक AB-6714292
- 3 हीर पुत्र श्री रंजीत कुमार मूल पारपत्र क्रमांक AG-6993892
- 4 ग्रेसिया पुत्री श्री रंजीत कुमार मूल पारपत्र क्रमांक UJ-9997081

संलग्न: उपरोक्तानुसार

नोट-पाक नागरिको श्री रंजीत, हंसिका, हीर के दिनांक 17.07.2014 से 18.07.2017 तक एवं श्रीमती सोनिया के दि.10.10.2014 से 11.10.2016 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है।

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

भोपाल, दिनांक 01/04/2019

क्रमांक एफ-3(ए)46/2015/ए-1/दो  
प्रतिलिपि:-

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2019-20 (79)दि.15.03.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आवेदक श्रीमती सोनिया पत्नी श्री रंजीत कुमार निवासी मं. नं. 1/8 डॉ इन्कलेव कालोनी ग्राउण्ड फ्लोर, शोपानी हाउस, ईदगाह कोठी ईदगाह हिल्स जिला भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेट करने हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह (पारपत्र)विभाग